झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

<u>किमिनल रिभीजन सं0–06 वर्ष 2020</u>

हीरामन गंझू उर्फ हीरामन कुमार .... याचिकाकर्त्ता(ओं)

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

उपस्थित : **<u>माननीय न्यायमूर्ति आनंदा सेन</u>**

याचिकाकर्त्ता(ओं) के लिए :– श्री प्रशान्त कु0 राहुल, अधिवक्ता।

राज्य के लिए :– श्री प्रवीण कु0 अप्पू, ए0पी0पी0।

<u>03 / 06.02.2020</u>

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

याचिकाकर्त्ता एक किशोर है, जो पॉकसो अधिनियम की धारा 4 / 6 और भा0दं0सं0 की धारा 376 के तहत अपराध करने के लिए हिरासत में है।

इस पुनरीक्षण आवेदन को दायर करके, याचिकाकर्त्ता जमानत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। किशोर न्याय बोर्ड, लातेहार ने दिनांक 15.10.2019 के आदेश द्वारा उनके आवेदन को खारिज कर दिया था और अपर सत्र न्यायाधीश, लातेहार ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा पारित 15.10.2019 के आदेश की पुष्टि दिनांक 26.11.2019 के आदेश द्वारा कर दिया है।

याचिकाकर्त्ताओं के अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्त्ता को इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

रिकॉर्ड से गुजरने के बाद, मैं पाता हूँ कि अभियोजन का मामला पॉकसो अधिनियम की धारा 4/6 और भा0दं0सं0 की धारा 376 के तहत है। याचिकाकर्त्ता ने लगभग 15 साल दो महीने की एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया है।

अपराध की प्रकृति और पीड़िता के नाबालिग होने को देखते हुए, मैं याचिकाकर्त्ता को जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। तद्नुसार, प्रधान दण्डाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, लातेहार की अदालत में लंबित बालूमाथ थाना काण्ड संख्या 155/2018, पॉकसो वाद संख्या 40/2018 के अनुरूप के संबंध में उपर्युक्त याचिकाकर्त्ता की जमानत के लिए प्रार्थना को खारिज किया जाता है।

तद्नुसार, तत्काल आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है।

(आनंदा सेन, न्याया0)